पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.156
दिनांक- 17.01.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

- **लड़ाई-झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त / अराजकतत्व को अलीगंज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.01.25 को थाना क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम तिराहे के पीछे पार्क के सामने थाना अलीगंज लखनऊ लोगो के साथ लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करने वाला 01 नफर अभि0 शिवम सिंह पुत्र सत्य प्रकाश सिंह नि0 538ए/1524ए, 60 फिटो रोड त्रिवेणीनगर-3 शिवलोक थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

अभि0गण उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

लड़ाई झगड़ा कर शान्ति व्यवस्था भंग करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. शिवम सिंह पुत्र सत्य प्रकाश सिंह नि0 538ए/1524ए, 60 फिटो रोड त्रिवेणीनगर-3 शिवलोक थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 25 वर्ष (जिम ट्रेनर)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

2. उ0नि0 श्री भानु प्रताप सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
3. म0उ0नि0 प्रगति सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं. 151

दिनांक–17.01.2025

लखनऊ के अन्तर्गत थाना- जानकीपुरम व पारा क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

कार्यवाही-

मा0न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः-152(108)/2024, 297(186)/2024, 330(208)/2024 व 333(211)/2024 से सम्बन्धित विपक्षीगण के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुए विपक्षीगण को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 17.01.2025 को खुले न्यायालय में विपक्षीगण के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षीगण को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षीगण	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
जानकी पुरम	1	152(108)/2024	अभिनव शुक्ला उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र स्व0 पशुपतिनाथ शुक्ला निवासी म0नं0- 3/393 जानकीपुरम विस्तार, थाना जानकीपुरम, लखनऊ	1	129/2020	364/511/354 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट	जानकीपुरम	06 माह
				2	434/2021	363/366 भा0द0वि0 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट	गुडम्बा	
				3	277/2022	147/323/506 भा0द0वि0	जानकीपुरम	
				4	73/2024	323/504/506 भा0द0वि0	जानकीपुरम	

पारा	2	297(186)/2024	श्रमजीत रावत उर्फ शेरू उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र सिद्ध प्रकाश रावत निवासी 548/628 देवपुर चन्द्रोदय नगर, थाना पारा, लखनऊ	1	225/2022	323/504/506 भा0द0वि0	पारा	06 माह
				2	62/2023	307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट	पारा	
पारा	3	330(208)/2024	सौरभ पाण्डेय उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र अवधेश कुमार पाण्डेय निवासी म0नं0 102/2 मा0 कांशीराम कालोनी फेज 2 सदरौना, हंसखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ	1	372/2022	397/412 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट	जानकीपुरम	06 माह
				2	509/2022	323/354/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट	पारा	
				3	518/2022	398 भा0द0वि0	गोसाईगंज	
पारा	4	333(211)/2024	भानू पाण्डेय उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र अवधेश कुमार पाण्डेय निवासी म0नं0 102/2 मा0 कांशीराम कालोनी फेज 2 सदरौना, हंसखेड़ा, थाना पारा, लखनऊ	1	372/2022	397/412 भा0द0वि0	जानकीपुरम	06 माह
				2	509/2022	323/354/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट	पारा	
				3	518/2022	398 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट	गोसाईगंज	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं- 147
दिनांक- 17.01.2025

- **साइबर क्राइम सेल द्वारा शिकायतकर्ता से ठगी किये गये 3,50,667/- रुपये को त्वरित कार्यवाही कर वापस कराये गये।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध में संलिप्त वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी व अपराध के रोक थाम के आदेश के क्रम में, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कमिश्नरेट लखनऊ, श्रीमान पुलिस उपायुक्त (अपराध), श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के मार्गदर्शन में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता से साइबर अपराधियों के द्वारा ठगे गये 3,50,667/- रुपये को शिकायतकर्ता के खाते में पुनः वापस कराया गया है।

01-घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 22.10.2024 को साइबर क्राइम सेल में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें वादी के द्वारा ऑनलाइन दवा की खरीददारी की गयी थी जिसके डिलीवरी मे देरी होने पर कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च कर कॉल किया गया। कॉल करने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा झांसा देकर खाते की गोपनीय जानकारी लेकर शिकायतकर्ता के खाते से 4,50,000/- रुपये ट्रांसफर कर लिए गये।

उक्त प्रार्थना पत्र को साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार त्वरित कार्यवाही करते हुये शिकायत कर्ता के 3,50,667/-रुपये वापस कराये गये।

02-साइबर सेल द्वारा की गयी कार्यवाही

शिकायतकर्ता द्वारा साइबर सेल में दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रभारी निरीक्षक **श्री आनन्द कुमार द्विवेदी** के आदेशानुसार हे0का0 गौरव शुक्ला द्वारा प्रार्थनापत्र पर त्वरित कार्यवाही की गयी, जिसमें कृत कार्यवाही के क्रम में सम्बन्धित बैंक/ कम्पनियो से सम्पर्क कर संदिग्ध खातो को फ्रीज करा कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुये साइबर ठगो के द्वारा निकाली गयी कुल धनराशि में से 3,50,667/- रुपये पुनः शिकायतकर्ता के खाते मे वापस करायी गयी है। साइबर क्राइम सेल के द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण शिकायतकर्ता अपने 3,50,667/- रूपये को पाकर अत्यन्त प्रसन्न है तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को धन्यवाद प्रकट किया है।

03-बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार द्विवेदी, प्रभारी साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2- उ0नि0 राकेश कुमार मिश्रा साइबर क्राइम सेल पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 152
दिनांक-17/01/2025

जोन मध्य/ थाना हजरतगंज

- **01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना हजरतगंज पुलिस टीम द्वारा अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय श्रीमान ए0सी0जे0एम0 सप्तम, लखनऊ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र (NBW) के अनुपालन में अभियुक्त/वारंटी (NBW) मो0 इमरान पुत्र अब्दुल शंकर निवासी 2/88 प्राग नारायण रोड बालू अड्डा हजरतगंज लखनऊ **संबंधित एनबीडब्ल्यू वाद सं0 928/17 धारा 12 DV** को दिनांक 17.01.2025 को प्राग नारायण रोड बालू अड्डा हजरतगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 मधुकर सिंह मय हमराह का0 अनुराग त्रिवेदी के साथ देखभाल क्षेत्र चेंकिग संदिग्ध व्यक्ति व ड्यटी में मामूर थे कि उपरोक्त वारण्टी के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुयी जिस पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उपरोक्त अभियुक्त/वारण्टी को दिनांक 17/01/2025 को प्राग नारायण रोड बालू अड्डा हजरतगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायलय में पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 इमरान पुत्र अब्दुल शंकर निवासी 2/88 प्राग नारायण रोड बालू अड्डा हजरतगंज लखनऊ उम्र 40 वर्ष

03-संबंधित वाद –

वाद सं0 928/17 धारा 12 DV

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मधुकर सिंह, थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट,लखनऊ
2. का0 अनुराग त्रिवेदी, थाना हजरतगंज, पुलिस कमिश्नरेट,लखनऊ ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 155
दिनांक-17.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त / अराजकतत्व को थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 17.01.2025 को उ0नि0 श्री अमित कुमार क्षेत्र में मामूर होकर सूचना पर ग्राम नेवादा पहुँचे तो पाया की वीरेन्द्र पुत्र रामलोटन व परवेश कुमार पुत्र स्व0 रणधीर निवासीगण ग्राम नेवादा, बाहरगाँव थाना इटौजा जनपद लखनऊ के वाद विवाद हो रहा है।

वाद विवाद का कारण पूछते हुये समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो वीरेन्द्र पुत्र रामलोटन उपरोक्त मान गये परन्तु परवेश कुमार पुत्र स्व0 रणधीर उपरोक्त और उत्तेजित होकर आमदा फौजदारी हो गए शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु व संज्ञेय अपराध घटित होने को रोकने हेतु परवेश कुमार पुत्र स्व0 रणधीर उपरोक्त को आज दिनाँक 17/01/2025 को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में हिरासत पुलिस में लिया गया।

अभियुक्त के विरूद्ध चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. परवेश कुमार पुत्र स्व0 रणधीर निवासीगण ग्राम नेवादा, बाहरगाँव थाना इटौजा लखनऊ उम्र 30 वर्ष (व्यवसाय- खेती)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अमित कुमार थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 अमित चोपड़ा थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-149
दिनांक-17/01/2025

जोन मध्य/ थाना कैसरबाग

बैंक में फर्जी कागजात लगाकर लोन लेने वाले 02 शातिर जालसाज वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

- **कूटरचना कर फर्जी कागजात लगाकर कर स्वीकृत कराया था 30 लाख रूपये का लोन।**
- **जिसके बाद से जालसाजी करने वाले दोनों अभियुक्त चल रहे थे फरार।**
- **सर्विलांस टीम, डीसीपी मध्य व थाना कैसरबाग पुलिस टीम को मिली सफलता।**

01-कार्यावाहीः-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ, पुलिस उपायुक्त मध्य व अपर पुलिस उपायुक्त मध्य व सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग लखनऊ महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग सुनील कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कैसरबाग कमिश्नरेट लखनऊ टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्त (1) सुधांशु पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी-ग्राम रायपुर खरगा, मिसरिख बिहट बिराम, थाना मछरेहटा जिला-सीतापुर हाल पता- 1/65 विशाल खण्ड -1 थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ (2) अनिल कुमार पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी निवासी- इन्डस्ट्रियल एरिया 283/147क/53 हरचंदपुर, गढ़ी कनौरा, थाना आलमबाग लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

थाना कैसरबाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 93/2022 धारा 419/420/467/468/471 भादवि के अभियुक्त गण (1) सुधांशु पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी-ग्राम रायपुर खरगा, मिसरिख बिहट बिराम, थाना मछरेहटा, जनपद-सीतापुर हाल पता- 1/65 विशाल खण्ड -1 थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ (2) अनिल कुमार पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी निवासी- इन्डस्ट्रियल एरिया 283/147क/53 हरचंदपुर, गढ़ी कनौरा, थाना आलमबाग लखनऊ द्वारा बैंक में कूट रचना, धोखाधडी व छलकपट कर फर्जी कागजात बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पूर्ववर्ती विजया बैंक जनपद लखनऊ में लगाकर **30,00,000/- रु0 (तीस लाख रुपये) लोन स्वीकृत करा लिया गया था**, जिसके बाद से अभियुक्तगण फरार चल रहे थे।

अभियुक्त गण (1) सुधांशु (2) अनिल कुमार उपरोक्त को थाना कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त गण उपरोक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

03-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

(1) सुधांशु पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी-ग्राम रायपुर खरगा, मिसरिख बिहट बिराम, थाना मछरोहटा जिला-सीतापुर हाल पता-1/65 विशाल खण्ड -1 थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष

(2) अनिल कुमार पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी निवासी- इन्डस्ट्रियल एरिया 283/147क/53 हरचंदपुर, गढ़ी कनौरा, थाना आलमबाग लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग/वादः-

(1) मु0अ0सं0- 24/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना सरोजनी नगर (विरुद्ध अभियुक्त अनिल कुमार)

(2) मु0अ0सं0 93/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कैसरबाग लखनऊ (विरुद्ध अभियुक्त गण सुधांशु व अनिल कुमार)

05-गिरफ्तारी का स्थानः-

(1) अभि0 सुधांशु को 1/65 विशाल खण्ड -1 थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ से दिनाँक 16/01/2025

(2) अभि0 अनिल कुमार को इन्डस्ट्रियल एरिया 283/147क/53 हरचंदपुर, गढ़ी कनौरा, थाना आलमबाग लखनऊ से दिनांक 17/01/2025

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 सुनील कुमार सिंह
2. उ0नि0 अभिमन्यु सिंह
3. उ0नि0 प्रशांत कुमार
4. हे0का0 अखिलेश त्रिपाठी
5. HC अखिलेश कुमार- सर्विलांस सेल, कार्यालय DCP (मध्य)
6. का0 मोहित कुमार- सर्विलांस सेल, कार्यालय DCP (मध्य)